

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02072022-237022
SG-DL-E-02072022-237022असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2022/आषाढ 10, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 165
No. 348]	DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2022/ ASHADHA 10, 1944	[N. C. T. D. No. 165

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सेवा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जुलाई, 2022

फा. सं. २०/१३/२०१७/एस-१/एलआईटी/वो-I/2113-2122.—सेवा विभाग के अधिसूचना सं.फा.२०/१३/२०१७/एस-१/एलआईटी/३७४६-३७५४ दिनांक ११/१२/२०१७ के माध्यम से सुश्री रुचिरा गुप्ता अधिवक्ता को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों के "सेवा" से जुड़े मामलों के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, के पैनल वकील के रूप में नियुक्त किया था। अभी सिविल प्रक्रिया संहिता, (१९०८ का ५) की धारा २ की उपधारा (७) के तहत प्रदत्त शक्तियों का तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए स्थाई काउंसिल के पद से सुश्री रुचिरा गुप्ता के त्यागपत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
भैरव दत्त, सचिव सेवाएं-III/विधिक

SERVICES DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 1st July, 2022

F. No. 20/13/2017/S-I/Lit/Vol-I/2113-2122.—Services Department vide Notification No. F.20/13/2017/S-I/Lit/3746-3754 dated 11/12/2017 has appointed Ms. Ruchira Gupta, Advocate as Panel Counsel for Hon'ble High Court of Delhi in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi. Now, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to accept the resignation of Ms. Ruchira Gupta, Advocate from the post of Panel Counsel for Hon'ble High Court of Delhi with immediate effect.

By Order and in the Name of
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
BHAIRAB DUTT, Dy. Secy. Services-III/Legal